राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/01/232-C/2020-KSP

आईएफसीआई लिमिटेड के साथ दिनांक 07.07.2020 की सुनवाई का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. डा. ईमांदी संकरा राव, एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेड
3. श्री सुनील कुमार बंसल, डी.एम.डी., आईएफसीआई लिमिटेड
4. श्री प्रसून, सी.जी.एम., आईएफसीआई लिमिटेड
5. श्री बी.के. पति, उप सचिव, रा.पि.व.आ.
6. मिस रूपा देब, जी.एम. आईएफसीआई लिमिटेड

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- एक प्रश्नावली राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आपको भेजी गयी थी उसका आप लोगों के द्वारा जवाब भी भेजा गया था। उसी के क्रम में कुछ और जानकारी मैं आप लोगों से चाहता हूँ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यह जानना चाहता है कि आईएफसीआई का गठन कब हुआ था? और जिस दिन से गठन हुआ था उस दिन से लेकर 31 मार्च, 2020 तक वर्षवार और पदवार रोस्टर रजिस्टर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और कंपनी की जो सवसिडियरी कंपनियां है उनकी भी रिपोर्ट और कैटेगरी-वाईज विवरण प्रस्तुत करें।

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेड:- हमारी कंपनी 1 जुलाई, 1948 को इनकोर्पोरेट हुआ है as a Developmental Financial Institution as an Act उस टाईम का। उसके बाद ये कंपनी as per Companies Law convert हो गयी, कोर्पोरेशन से निकल कर ये कंपनी बन गयी, IDBI used to hold the shares, indirectly it was not like a government company, it was working like a private company. इसके बाद 2015 में ये फिर से गवर्नमेंट के अंडर में आ गयी, डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेयर ले लिया। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 61% है और बाकी स्टॉक-होल्डिंग में पब्लिक का शेयर है। अभी हमारा जो मैनपावर है उसमें 209 ऑफिसर है , उसमें ओबीसी के रिजर्वेशन सिस्टम का हमने 2014 से पालन शुरू किया, 2015 में हमारी कंपनी गर्वनमेंट कंपनी बन गयी, अभी अलग-अलग लेवल में ओबीसी कैटेगरी का टोटल प्रतिशत 12.44 % है। हमारा ये फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन है इसमें ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर से चीफ जनरल मैनेजर से एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक होते है। अभी सव्सिडियरी की बात होती है, ये सव्सिडियरी

बीच-बीच में खरीदा गया, वो उस टाइम प्राइवेट सेक्टर में था। अभी मैक्सीमम सभी 5 सब्सिडियरीज में except stockholding 300 लोग है। एक सब्सिडियरी Stock Holding of Corporation of India है, वो भी हम 52% होल्ड करते है पहले it is a private company even now run as a private company only क्योकिं इन सभी सब्सिडियरीज के अलग-अलग बोर्ड है वो बोर्ड डिसाइड करता है। जब तक आईएफसीआई मैन पेरैंट कंपनी है ओबीसी का जो रिजर्वेशन पॉलिसी 100% करते रहेगा। सब्सीडियरीज का अभी तक कोई क्लेरिटी नहीं है, हमने मिनिस्ट्री को चिठ्ठी लिखी है और मांगा है कि ये कौन- कैटेगरी में आती है, कैसे करना है वो जवाब के लिये हम इंतजार कर रहे है ये आज स्टेटस है।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः-</u> आयोग आपसे यह अपेक्षा करता है कि 31.03.2020 तक वर्षवार और पदवार रोस्टर 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भेज दिया जाये। और जो सब्सिडियरीज कंपनी का अगर रोस्टर है वो रोस्टर भिजवाया जाये और अगर रोस्टर नहीं है तो जो भी further details है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 24 घंटे के अंदर भिजवाया जाए।

<u>एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः-</u> जरूर।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः-</u> जो Questionnaire भेजा गया था उसमें प्रश्न संख्या 8 के उत्तर में यह बताया गया है कि मैनेजर के पदों पर ओबीसी के चयनित उम्मीदवारों ने ज्वाइन नहीं किया है तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जानना चाहता है कि मैनेजर के पद पर कितने ओबीसी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे?

<u>एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः-</u> 4 सेलेक्ट हुए थे।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः-</u> मैनेजर के टोटल पद कितने थे? उसमें ओबीसी के कितने सेलेक्ट हुए थे? और जो पद रिक्त रह गये उन पर आईएफसीआई द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

<u>जी.एम., आईएफसीआई लिमिटेडः-</u> 2016 में टोटल पॉजीशन 18 की थी जो ऐक्चुअल फिल-अप हुए है वो 7 हुए है और ओबीसी का कोई भी फिल-अप नहीं हुआ, जो 4 सेलेक्टेड ओबीसी कैंडिडेट थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया।

आईएफसीआई टावर
IFCI Tower
61, नेहरू प्लेस
61, Nehru Place
नई दिल्ली-19
New Delhi-19

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ओबीसी के कुल कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे?

जी.एम., आईएफसीआई लिमिटेडः- ओबीसी के 4 सेलेक्शन हुए थे, 18 टोटल पॉजिशन खाली थी। जो टोटल पॉजिशन भरी गई वो 7 थी। नंबर ऑफ ओबीसी पोजिशन भरी नहीं जा सकी क्योंकि 4 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वो पॉजिशन सभी खाली है वो वैकेन्सीज है जो अगले रिक्रूटमेंट ड्राईव में भरी जाएगी।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- अभी तक भरी नही गयी है?

जी.एम., आईएफसीआई लिमिटेडः- सर 2016 के बाद कोई रिक्रूटमेंट ड्राईव नहीं हुआ है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को विशेष रूप से इस पूरे नियुक्ति वर्ष का रोस्टर रजिस्टर 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करे।

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- जी।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- प्रश्न संख्या 17 के उत्तर में यह बताया गया है कि रिक्रूटमेंट सेलेक्शन कमेटी और डीपीसी में ओबीसी, एससी, एसटी में से किसी एक के सदस्य को शामिल किया जाता है, क्या यह सत्य है?

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- हाँ जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- प्रश्न संख्या 17 का उत्तर कि ओबीसी, एससी, एसटी में से किसी एक के सदस्य को रखते है यह आप आयोग को 24 घंटे के अंदर शपथ-पत्र पर भेजिए।

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- ठीक है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आप लोग डीओपीटी के आदेश को मानते है या नहीं मानते है एमडी साहब।

जी.एम., आईएफसीआई लिमिटेडः- रिजर्वेशन की जो भी गाइडलाईन्स है हम वो मानते है।

आईएफसीआई/IFCI LTD. आईएफसीआई टावर IFCI Tower 61, नेहरु प्लेस 61, Nehru Place नई दिल्ली-19 New Delhi-19 (भारत सरकार का उपक्रम/A Govt. of India Undertaking)

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- 13.02.2014 का डीओपीटी का आदेश आपने पढ़ा है?

जी.एम., आईएफसीआई लिमिटेडः- सर वो कंफर्म करना पड़ेगा।

डी.एम.डी., आईएफसीआई लिमिटेडः- सर आप आदेश करे और हम और देख लेंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- चलिये शपथ-पत्र बना कर भेजिये।

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- Sure सर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- वार्षिक रिपोर्ट में ओबीसी रिजर्वेशन के चैप्टर को शामिल ना करने के पीछे आईएफसीआई की क्या मंशा है?

जी.एम., आईएफसीआई लिमिटेडः- नहीं सर मंशा कुछ भी नहीं है ये हो सकता है यह ओवर साइट हो क्योंकि हम बिल्कुल नए ऑर्गेनाईजेशन जो बने है 2014 से हमने गाइडलाइन फॉलो करने शुरू किये थे हो सकता है कि कही ओवर साइट हुआ हो। इसीलिये जब से प्रश्न-पत्र हमारे पास आया है ते हमने यही किया कि इस बार से जो हमारी Annual Report आयेगी उसमें डालेंगे।

डी.एम.डी., आईएफसीआई लिमिटेडः- सर, वर्ष 2019-20 की हमारी Annual Report अभी ड्राफ्ट स्टेज में है जिसमें इस चीज को ध्यान में रखा गया है कि इसके बारे में हम जो आपके निर्देश है उसको फॉलो करेंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- नहीं हमारे निर्देश नहीं है ये भारत सरकार के बनाये गये नियम है।

डी.एम.डी., आईएफसीआई लिमिटेडः- जी बिल्कुल-बिल्कुल उन्ही की बात कर रहा हूँ।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जानना चाहता है कि ऑफिसर को किस उद्देश्य से फॉरेन ट्रेनिंग पर भेजा जाता है?

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- ऐसा है कि हमारा तो फाइनेन्सियल इन्सटीट्यूशन है इसकी वजह से अलग- अलग methods, Multinational Banks से कांफ्रेंस होता है ये सब्जेक्ट में financing subject, infrastructure industry, agriculture में, इसके लिए HR के हिसाब से Human Resources का Capacity Development or

IFCI LTD. आईएफसीआई टावर IFCI Tower 61, नेहरू प्लेस 61, Nehru Place नई दिल्ली-19 New Delhi-19 भारत सरकार का उपक्रम/A Govt. of India Undertaking

training का जो रोस्टर हम बनाते है सालभर ऑफिसर्स को एक-एक लेवल का जो-जो लोगों को ट्रेनिंग चाहिये उनको हम सेलेक्ट करके भेजते है अभी last year तक भेजा था इस साल अभी तो हम लोस में है इसलिये लोकल ट्रेनिंग कर रहे है Abroad Training ज्यादा नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- 4 कर्मचारियों को विदेश ट्रेनिंग हेतु भेजा गया था जिसमें से एक एससी कैंडिडेट को भी भेजा गया था। इन चार में से कोई ओबीसी का था?

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- अभी हम चेक करके बतायेंगे ये तो पुराना है ये इंफोर्मेशन निकाल कर बतायेंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ठीक है निकाल कर बताइये।

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- सर पहले हमने जो 4 लोगों को भेजा था पिछले साल में एक तो एससी को भेजा था और 3 लोग जनरल है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- पिछले 5 वर्षों से लेकर 30.06.2020 तक कुल कितने कैंडिडेट्स को फॉरेन ट्रेनिंग में भेजा गया था और उसमें ओबीसी की संख्या कितनी थी? ये डाटा 24 घंटे के अंदर आयोग को भेजा जाए।

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- जरूर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यह जानना चाहता है कि जीएम के ऊपर कौन-कौन से अधिकारी ओबीसी कैटेगरी से आते है?

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- सर अभी सीजीएम में कोई ओबीसी नहीं है, ईडी में कोई ओबीसी नहीं है, जीएम में दो ओबीसी है, और डीएमडी साहब जनरल में है और मैं भी ओबीसी हूँ लेकिन मैं जनरल में सेलेक्ट होकर आया हूँ।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- लेकिन आपकी प्रणाली से लग नहीं रहा है। ये पूरी जानकारी आयोग को भिजवाईये।

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- हाँ जरूर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आईएफसीआई और सब्सिडियरीज कंपनी की अप-टू-डेट वार्षिक रिपोर्ट आयोग को जल्द से जल्द भिजवाया जाये।

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- हाँ जी। इस साल की अभी प्रिंट होगी उसमें टाइम लगेगा सर, पिछले साल का हम भेज देंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- जब तक की अपडेट है जब तक की भी भेज सकते है।

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- हाँ जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आईएफसीआई ने ओबीसी के उद्यमियों के डेवलेपमेंट के लिए कोई योजना बनायी है?

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- हाँ जी सर आईएफसीआई में एक ओबीसी फंड है नया शुरू किया है वो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे है ओबीसी एन्टरप्रूनर्स को।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- वो किस नाम से है?

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- वो आईएफसीआई वैंचर ओबीसी फंड के नाम से है। अभी 1 साल पहले ही इसको शुरू किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है हम चला रहे है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- अभी जो आप बता रहे थे वो कौन से फंड की बात कर रहे है?

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- मैं बीसी फंड की बात कर रहा हूँ। हमारे पास 2 फंड है 1 तो शेड्यूल्ड कास्ट का फंड है जो 4-5 साल से चल रहा है, बीसी फंड लास्ट ईयर से हमारे पास आया था, वो अभी शुरू हुआ है और ऐक्सपेंशन भी कर रहे है हम धीरे-धीरे।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ये फंड क्या वैंचर्स फंड के नाम से है आईएफसीआई वैंचर्स बीसी फंड?

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- आईएफसीआई वैंचर्स बीसी फंड।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ये जो वैंचर्स फंड बता रहे है ये किस नाम से है, इसका पूरा नाम क्या है?

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- आईएफसीआई वैंचर कैपिटल फंड बैक्वार्ड क्लासेज।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- इसको लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है?

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- बीसी एन्टरप्रूनर्स जो है देश में उन लोगों को अगर कोई फैक्टरी बनाना है, नहीं तो सर्विस चलाना है उसको हम फाइनेन्स करते है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- कितना फाइनेन्स करते है?

आईएफसीआई लिमिटेडः- 5 करोड़ तक का टिकट साइज रहता है, 5 करोड़ तक दिया जा सकता है एक को।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- किस प्रकार के उद्योगों को देते है?

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- सभी बीसी में जो इंडस्ट्री है सोलर हो, टेलिफोन हो, जो भी सेक्टर है मैन्यूफेक्चरिंग में जो प्रोजेक्ट लेकर आयेगा तो उनको हम फंड करेंगे स्कीम के हिसाब से। स्कीम में जो सैंट्रल गवर्नमेंट ने लिखा है उसके पैरामीटर के हिसाब से हम फंड देते है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- गवर्नमेंट के क्या पैरामीटर है?

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- एक मिनट सर वो फंड के एमडी को बुलाता हूँ। फंड का डिटेल बतायेगें। अभी तो 105 करोड़ का बीसी फंड है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- एससी के लिये कितना है?

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- एससी के लिये अभी 650 करोड़ तक आ गया है, 105 करोड़ ओबीसी के लिये है अभी एक साल हुआ है इसे शुरू हुए। एससी के फंड को 4-5 साल हो गये है।

आईएफसीआई/IFCI LTD.
आईएफसीआई टावर
IFCI Tower
61, नेहरू प्लेस
61, Nehru Place
नई दिल्ली-19
New Delhi-19

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- इसको कैसे करते है, कुछ विज्ञापन करते है या बिना विज्ञापन के करते है?

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- सर हमारे बीसी फंड के एमडी साहब आ रहे है फंड का वो बतायेगें।

एम.डी., बीसी फंडः- नमस्कार चेयरमैन साहब। सर, ये जो वैंचर कैपिटल फंड फोर बैकवार्ड क्लासेज है, 2018 में इसको conceptualize किया गया था। मिनिस्ट्री ने कहा था 2018 में कि इसको बनाना है इसका रजिस्ट्रेशन हो गया था चूंकि 20 करोड़ से कम में कोई फंड चल नहीं सकता है तो सर इसमें जो पैसा आया है वो अक्टूबर 2019 में आया है सर। शुरूआत में 10 करोड़ रूपये मिनिस्ट्री ने डाला था तथा 5 करोड़ हमने डाला था। फिर 2019 अक्टूबर के बाद से ये फंड शुरू हो गया है। 105 करोड़ रूपये का कोपस है। और ये जो फंड है ये कंपनीज को दिया जा सकता है जो कंपनीज ओबीसी के एन्टरप्रूनर्स द्वारा प्रमोट की गई है इसमें रिक्वायरमेंट यह है कि उस कंपनी की शेयर होल्डिंग 51% ओबीसी एन्टरप्रूनर के पास होनी चाहिए, उसके नाम में होनी चाहिए और अधिकतम सहायता हम 5 करोड़ की दे सकते है। इसमें एक रिक्वायरमेंट और है कि जो कंपनी है वो एक साल पुरानी होनी चाहिये वो इसलिये है कि जो एन्टरप्रूनर आ रहा है वो खाली फंड का नाम सुनकर नहीं आ रहा है बल्कि उसकी हमेशा से ही यह इन्टेंशन थी कि वो बिजनेस शुरू करे। और इसके अलावा इसमें जहां तक इसके प्रचार-प्रसार का सवाल है इसमें हमने जो अभी तक किया है जैसे हमने अभी पिछले दिनों मई के महीने में एक विज्ञापन दिया था 9,10,11,12 तारीख को ऑल इंडिया लेवल पर करीबन-करीबन 18-20 सारे अख़बारों में दिया था बड़े-छोटे सारे लोकल लेवल पर जो वर्नाकुलर में भी अख़बार होते है उनके माध्यम से। इसके अलावा हम कभी-2 कॉफ्रेंश भी करते रहे है और अभी हमने इस कोविड के दौरान कुछ वेबिनार भी किये है और वेबिनार के माध्यम से प्रचार-प्रसार भी किया है जिसमें कई सारे इंडस्ट्री, एसोसिएशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स आदि होते है वो भी इसमें आ जाते है। इसके अलावा इसमें जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज है और प्रदेश सरकार के जो विभाग है समाज कल्याण के और ओबीसी के महकमे है उनको भी हमने चिठ्ठी लिखी है इस फंड के बारे में जानकारी देने हेतू क्योंकि यह सतत् प्रक्रिया है इसमें बराबर हम कोई ना कोई सूचना कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते है आज जैसे आपके माध्यम से भी जरूर यह बात कई जगह पहुँचेगी। इस तरह से हम सतत् प्रक्रिया में लगे रहते है इसकी जानकारी देने में।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- ये बताइये कि 15 करोड़ रूपये में कितने लोगों को लोन देगें?

एम.डी., बीसी फंडः- 15 नहीं है सर ये 105 करोड़ का फंड है इस वक्त। इसमें हमने लगभग 11 या 12 लोगों को 44 करोड़ रूपये सैंक्शन किया है अभी डिसवर्समेंट एक कंपनी में हुआ है बाकी का डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- इसका आप लोग कुछ विज्ञापन निकालते है या पूरे वर्ष करते रहते है?

एम.डी., बीसी फंडः- सर अभी मई के महीने में हमने विज्ञापन दिये है इसके।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- विज्ञापन की लास्ट डेट कब थी?

एम.डी., बीसी फंडः- विज्ञापन हमने 9,10,11,12 मई में दिये है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- आवेदन की अंतिम तिथि कब थी?

एम.डी., बीसी फंडः- सर उसमें आवेदन तो हम पूरे साल लेते है। लेकिन हमने उसमें इसलिये थोड़ा सा और बढ जाये तो हमने कहा था कि 30 जून तक वो अप्लाई कर दे इसमें लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि 30 जून के बाद जो आयेगा उसको हम ऐक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको भी कर रहे है और ऑनलाइन ऐप्लिकेशन लग रही है इसमें। इसमें ऑनलाइन पोर्टल है इसके ऊपर अब सीधे कोई भी एन्टरप्रूनर अपनी प्रिलिमरी ऐप्लीकेशन डाल सकता है और उसके बाद हमारा ऑफिस उसको फोलोअफ करता है कि अब आप ये डीटेल दे दीजिए, आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दीजिये। सारा गाइडेंस हम देते है, हैंडहोल्डिंग करते है, मेंटरिंग करते है उसकी।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- 30 जून आवेदन की अंतिम तिथि तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए?

एम.डी., बीसी फंडः- सर, इसमे सीधा आवेदन तो आता नही है पहले इन्क्वायरी आती है, कोई फोन आता है, कोई मेल आ जाती है। उसमें हमने 8 नंबर दिये थे तो लगभग हमारे पास 150 से भी ज्यादा इन्क्वायरी आई है जिसमें मेल भी आए, टेलिफोन भी आए।

आईएफसीआई/IFCI LTD.
आईएफसीआई टावर
IFCI Tower
61, नेहरू प्लेस
61, Nehru Place
नई दिल्ली-19
New Delhi-19

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- आपने तो विज्ञापन में लिखा था कि आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 है तब तो आपके पास इसमें ऐप्लिकेशन आयी होगी?

एम.डी., बीसी फंडः- सर, जब लोग विज्ञापन को पढ़ते है तो उन्हे पता लगता है कि कोई फंड है इसमें ओबीसी कर सकता है तो चूंकि इसकी कोई पहले से स्कीम नहीं थी जब उनको सुनने में आता है तो उत्सुकतावस बहुत सारे सवाल पूछते है। जरूरी नहीं है कि वो ऐलीजिवल हो, ऐसे भी लोग है जो कहते है कि साहब अगर हम अब कंपनी बना ले तो हम एक साल बाद ऐलीजिवल हो जायेंगे। तो उसमें ऐसी भी इंक्वायरी आती है ज्यादातर। ज्यादातर लोग उसमे ऐलीजिवल नहीं होते, 90% लोग तो ऐलीजिवल होते ही नहीं है लेकिन वह उत्सुकतावस उसके बारे में जानकारी लेना चाहते है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को इसका आकड़ा उपलब्ध कराईये कि अंतिम तिथि तक ओबीसी के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? और प्राप्त आवेदनों पर आप लोगों द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? प्राप्त आवेदनो की सूची उपलब्ध कराई जाये। और लोन का पर्सनल पीरियड क्या है? और जिन लोगों ने प्रक्रिया पूर्ण कर ली है उनकी सूची और प्रक्रिया पूर्ण करने वालों को लोन कब तक दिया जायेगा और उसकी अंतिम तिथि यह सारे आकड़े आयोग को उपलब्ध कराये जाए।

एम.डी., बीसी फंडः- ठीक है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- ये वैंचर क्रेडिट गारंटी योजना क्या होती है?

एम.डी., बीसी फंडः- ये क्रेडिट एनहेन्समेंट गारंटी स्कीम है सर जोकि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- ओबीसी के लिए नही है?

एम.डी., बीसी फंडः- जी नहीं ओबीसी के लिये नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- दोनों में क्या अंतर है?

एम.डी., बीसी फंडः- जो वैंचर कैपिटल फंड होता है ये किसी कंपनी को ही पैसा दे सकता है। यह किसी पार्टनरशिप और इंडीविजुअल को पैसा नहीं देता है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- इन दोनों वैंचर्स फंड में जो क्रेडिट गारंटी योजना है वह क्या है?

आईएफसीआई/IFCI LTD.
आईएफसीआई टावर
IFCI Tower
61, नेहरू प्लेस
61, Nehru Place
नई दिल्ली-19
New Delhi-19

एम.डी., बीसी फंडः- वह तीसरी स्कीम है सर। यह दो वैंचर फंड है और एक गारंटी स्कीम है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- तीसरी स्कीम क्या है?

एम.डी., बीसी फंडः- यह क्रेडिट एन्हेन्समेंट गारंटी स्कीम फोर शेड्यूल्ड कास्ट है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- इसमें क्या होता है?

एम.डी., बीसी फंडः- इसमें सर अगर बैंक किसी शेड्यूल्ड कास्ट एन्टरप्रूनर को जो की इंडीविजुअल भी हो सकता है, वह कंपनी भी हो सकती है, वह पार्टनरशिप भी हो सकती है। अगर कोई बैंक लोन करता है इस स्कीम के संदर्भ में तो उसको 1 करोड रूपये तक बैंक को सर इंडीविजुअल को नहीं उस लोन के लिए हम बैंक को 1 करोड़ तक 100% गारंटी देते है सर। 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का लोन सेंक्शन किया गया है तो 80% गारंटी देते है, 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक किया गया है तो 70% लोन की गारंटी देते है और मेक्सिमम गारंटी अगर 5 करोड़ से ज्यादा लोन दिया गया है तो हम 5 करोड़ की गारंटी उसको देंगे मगर 5 करोड़ से ऊपर के लोन पर 60 % तक गारंटी हो जाती है तो इसका मतबल यह हुआ कि 8 करोड़ 33 लाख का लोन अगर किसी को सेंक्शन हो जाता है किसी बैंक के द्वारा तो उसको 5 करोड़ की गारंटी मिल जायेगी।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- ओबीसी के लिये यह योजना नहीं है?

एम.डी., बीसी फंडः- ओबीसी के लिये नहीं है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- क्रेडिट गारंटी योजना कब से चल रही है?

एम.डी., बीसी फंडः- यह 2015 से चल रही है सर। एससी फंड और वैंचर कैपिटल फंड और क्रेडिट एनहेन्समेंट गारंटी फंड दोनों 2015 से है। और ओबीसी का जो फंड है सर यह अक्टूबर 2019 से इफेक्टीव हुआ है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- जो लोन डिसवर्समेंट की कमेटी होती है आपकी इसमें कोई ओबीसी का प्रतिनिधित्व है?

एम.डी., बीसी फंडः- इसमें मंत्रालय की तरफ से रहते है जो ओबीसी विभाग के लोग है वो उसमें रहते है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- आईएफसीआई की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं?

एम.डी., बीसी फंडः- आईएफसीआई की तरफ से भी है इंटरनल भी है उसमें ओबीसी मेंबर है।

डी.एम.डी., आईएफसीआई लिमिटेडः- साहब का मतबल है कि ओबीसी कास्ट का कोई आदमी है ।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- ओबीसी कास्ट नहीं है ओबीसी क्लास है।

डी.एम.डी., आईएफसीआई लिमिटेडः- सॉरी ओबीसी क्लॉस।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- इसकी डिटेल्स जरा हमको भिजवाए कि आपकी जो लोन डिसवर्समेंट कमेटी है उसमें ओबीसी प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है।

एम.डी., बीसी फंडः- डिसवर्समेंट कमेटी नहीं है सर, मैं बता दूँ उसकी भी मैकेनिजम की दो कमेटी है एक स्क्रीनिंग कमेटी है और एक इनवेस्टमेंट कमेटी है। स्क्रीनिंग कमेटी फस्ट राउंड कमेटी है जो प्रपोजल को देखती है कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट है या कुछ और देखना है तो वह देखती है उसके बाद फाइनल एप्रूवल के लिये इनवेस्टमेंट कमेटी के पास प्रपोजल जाता है सर। जब सैंक्शन हो जाता है उसके बाद डाक्यूमेंटेशन पूरा होता है तो जो शेयर एन्टरप्रूनर ने, कंपनी को लेकर आना है तो लेकर आते है और हम लोग इधर से देते है। अगर प्रोजेक्ट में बैंक की भी सैंक्शन है, बड़ा प्रोजेक्ट है तो तीनों लोग उसको अपने-2 अनुपात में डिसवर्स करते है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- इन दोनों कमेटियों में ओबीसी का कोई प्रतिनिधित्व है कि नहीं है इसकी पूरी डीटेल्स रिपोर्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजे।

एम.डी., बीसी फंडः- ठीक है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- आईएफसीआई और सब्सिडीयरीज कंपनियों की विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत 3 वर्षों में कुल कितने प्रोजेक्ट फाइनेंस किये गये और उन प्रोजेक्ट में ओबीसी उद्यमियों की संख्या और % क्या है?

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- साहब ऐसा है जो लोन आईएफसीआई देता है आईएफसीआई सब्सिडियरीज अगर फैक्टर्स हो, वैंचर फंड हो, वैंचर फंड भी स्कीम के

आईएफसीआई टावर IFCI Tower 61, नेहरू प्लेस 61, Nehru Place नई दिल्ली-19 New Delhi-19

हिसाब से एससी फंड से चला जाता है नहीं तो बीसी फंड से जाता है। लेकिन जब आईएफसीआई करता है आईएफसीआई अकेले नहीं है जो भी प्रोजेक्ट होता है अगर एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट को हम अकेले फंड नहीं करते है तो स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर करता है। तो इसका मतलब नहीं है इंडीविजुअल बीसी है वो पता नहीं चलेगा एक कंपनी के लिये हम फाइनेंस करते है। इंडीविजुअल, ओबीसी और एससी में नहीं जाते है उनका हमको पता ही नही चलता है। वो कंपनी के लिये करते है वो भी कॉन्सॉर्टियम फाइनेंसिंग है क्योंकि यह बड़े-बड़े प्रोजेक्ट होते है पॉवर, टेलीकॉम, रोड, एयरपोर्ट। इंडीविजुअल नहीं होता है ये कंपनी होता है उसमें 10-15 बैंक मिलकर पैसा देते है उसमें एक हम शामिल हो जाते है फाइनेनसिंग में।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- अच्छा इंडीविजुअल को फाइनेंस नहीं करते है?

एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः- नहीं सर। एयरपोर्ट होगा तो इंडीविजुअल नहीं होता है ये तो बड़ी कंपनी होगा, रिटेल नहीं करते है, आईएफसीआई और आईएफसीआई सब्सीडियरीज में रिटेल नहीं करते है फाइनेंनस में सब कंपनी को करते हैं। एससी फंड और बीसी फंड भी वही कंपनी होती है लेकिन उनका प्रमोटर बीसी होना चाहिये, एससी होना चाहिये 51% होल्डिंग के साथ और एक साल पुराना होना चाहिये। यह सैंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- ठीक है कमीशन को 24 घंटे के अंदर आप पोस्ट-वाईज और ईयरली रोस्टर रजिस्टर भिजवा दीजिए और सब्सिडियरीज का भी रोस्टर भिजवा दीजिये। ओबीसी उम्मीदवार ने जो ज्वाइन नहीं किया या उसकी जगह किसकी नियुक्ति हुई है इसकी पूरी डीटेल्स हमें भिजवाइये और जो आप लोगों ने प्रश्न संख्या 17 के उत्तर में बताया है कि ओबीसी, एससी, एसटी में से किसी एक के ही सदस्य रखते है इसका जवाब ऐफिडेविट पर चाहिए। एन्युअल रिपोर्ट में आगे से आप ओबीसी के चैप्टर को शामिल करेंगे इसका लिखित जवाब आप आयोग को ऐफिडेविड पर भेजिए। 5 वर्षो तक जो कैंडिडेट फॉरेन ट्रेनिंग पर भेजे गये हैं उसमें ओबीसी का प्रतिनिधित्व क्या है उसका भी जवाब भिजवाइये। जीएम के ऊपर के पदों की रिपोर्ट मांगी गयी थी उनमें कौन-कौन लोग ओबीसी के है उसकी रिपोर्ट चाहिए जो ओबीसी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए है। जो ओबीसी कैटेगरी के जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुए है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ।

आईएफसीआई/IFCI LTD
आईएफसीआई टावर
IFCI Tower
61, नेहरू प्लेस
61, Nehru Place
नई दिल्ली-19
New Delhi-19

आईएफसीआई और सब्सिडियरीज की अपडेट एनुअल रिपोर्ट जो भी उपलब्ध है पिछले 3 वर्षो की 24 घंटे के अंदर भिजवाइये।

<u>एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेडः-</u> हाँ जी सर।

<u>श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः-</u> धन्यवाद।

सुनवाई सम्पन्न।

(डा. ईमांदी संकरा राव)
एमडी एवं सीईओ, आईएफसीआई लिमिटेड

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

डॉ. ई. संकरा राव/Dr. E. Sankara Rao
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी/Managing Director & CEO
आईएफसीआई लि./IFCI LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम/A Govt. of India Undertaking)
61 नेहरू प्लेस/61 Nehru Place
नई दिल्ली-19 /New Delhi-19

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/01/232-C/2020-KSP

आईएफसीआई के साथ दिनांक 06.10.2020 की सुनवाई का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री सुनील कुमार बंसल, उप प्रबंध निदेशक, आईएफसीआई
3. श्री प्रसून, मुख्य महाप्रबंधक (एचआर), आईएफसीआई
4. श्री शिवेन्द्र तोमर, महाप्रबंधक, आईएफसीआई एवं एमडी, आईएफसीआई वैंचर कैपिटल फंड लिमिटेड
5. श्रीमती रूपा देब, महाप्रबंधक (एचआर), आईएफसीआई
6. श्री हिमांशु शर्मा, उप महाप्रबंधक (एचआर), आईएफसीआई

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - मैडम आपने ऐफिडेविट के साथ पत्र पर लिख कर दिया है This is to also submit that Hon'ble Member had expressed desire to have a meeting with our ~~Manager~~ Managing Director & CEO and other top management officials from IFCI. इसका क्या मतलब है?

जीएम (एचआर), आईएफसीआई:- सर, हम आपसे समय मांग रहे थे, उस समय बात हुई थी तो आपने एमडी साहब को ऐफिडेविट के साथ बुलाया था।

डीएमडी, आईएफसीआई:- सर, हमारा इस तरह का कोई मतलब नही था। सर, मैं 35 साल नाबार्ड में रहा हूँ मैने 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया है मैं Assure करता हूँ कि आईएफसीआई की तरफ से ऐसा कोई intension नही था।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - आप रोस्टर में ओबीएस कैटेगरी कहाँ से ले आये?

सीजीएम (एचआर), आईएफसीआई:- सर, हैडिंग में ओबीसी की जगह ओबीएस हो गया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - य रास्टर डुप्लीकेट तो नहीं है क्योंकि जिस तरह से यह रोस्टर बन कर आया है मुझे तो शंका हो रही है।

सीजीएम (एचआर), आईएफसीआई:- नही सर।

डीजीएम (एचआर), आईएफसीआई:- हमने डीएफएस में भी इसकी कॉपी दी हुई है, अक्टूबर, 2017 में डीएफएस ने इंस्पेक्शन के लिये बुलाया था हमारी कंपनी आईएफसीआई 2015 में सरकारी बनी है। 2014 में बोर्ड ने निर्णय लिया उसके बाद हमने रिजर्वेशन पॉलिसी शुरु किया।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - क्या इस तरह रोस्टर बनता है? (रोस्टर दिखाते हुए)

डीएमडी, आईएफसीआई:- सर, अगर आप कहेंगे कि रोस्टर ऐसे नही ऐसे बनना है तो हम वैसे ही मेंटेन कर लेंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - इतने बड़े-बड़े लोगों को सरकार ने रखा है सीजीएम एचआर बनाया है तो आपको तो पता ही होगा कि रोस्टर कैसे बनता है, रोस्टर पर किसका-किसका साइन होता है। डीएफएस ने अंतिम बार रोस्चर कब चैक किया था?

जीएम (एचआर), आईएफसीआई:- सर, ~~2017~~ 2017/2018 में हुआ है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - इस रोस्टर पर तो डीएफएस के किसी अधिकारी के साईन नही है।

जीएम (एचआर), आईएफसीआई:- सर उन्होंने फाइनल नही किया है, वह सब्मिशन के लिये गया है, वहां सब्मिट किया हुआ है।

डीजीएम (एचआर), आईएफसीआई:- सर, जो 2015 के बाद से रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुई थी तो जितनी भी रिक्रूटमेंट की है उसमें हमने रिजर्वेशन लागू करना शुरु कर दिया

आईएफसीआई/IFCI LTD. IFCI Tower 61, नेहरू प्लेस 61, Nehru Place नई दिल्ली-19 New Delhi-19

था। एसोसिएशन की तरफ से रिक्वेस्ट आयी है कि हमारी रिप्रिजेंटेशन कुल स्टाफ स्ट्रेंथ पर होनी चाहिए।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - ये विज्ञापन कब निकला था। (विज्ञापन की प्रतिलिपि दिखाते हुए)

सीजीएम (एचआर), आईएफसीआईः- सर, ये 2014 का है इस पर दिनांक नही है। आपका Observation सही है।

डीजीएम (एचआर), आईएफसीआई:- सर, 1 या 2 जनवरी 2014 को निकला था।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - इस वाले विज्ञापन के समय आईएफसीआई में रिजर्वेशन लागू था?

डीजीएम (एचआर), आईएफसीआई:- जी सर, इस वाले विज्ञापन के समय आईएफसीआई में रिजर्वेशन लागू था।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - आयोग को दिखाइये कि कौन-कौन सी सीट ओबीसी के लिये रिजर्व थी?

डीजीएम (एचआर), आईएफसीआई:- सर, ये प्रतिशत के हिसाब से किया था उस समय प्राइवेट से सरकारी बन रहे थे, जनवरी 2014 में प्रोसेस के बीच में यह रिक्रूटमेंट हुआ था.

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - ठीक है आप जो कह रहे है इसको आप ऐफिडेविट पर लिख कर आयोग को दीजिये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - आप ओबीसी को ओबीएस बना दे रहे है, रिक्रूटमेंट निकाल रहे है ओबीसी का आरक्षण क्लेरिफाई नही कर रहे है। आप दिखा दीजिये कि 2014 में कहां रिजर्वेशन दिया है।

डीजीएम (एचआर), आईएफसीआई:- रोस्टर दिखाया गया।

(3)

आईएफसीआई टावर IFCI Tower 61, नेहरू प्लेस 61, Nehru Place नई दिल्ली-19 New Delhi-19 भारत सरकार का उपक्रम/A Govt. of India Undertaking

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - रोस्टर में एससी उम्मीदवार को 7 नंबर सीट पर दिखा रहे है और वह यूआर कैटेगरी में नियुक्त हुआ है अगर वह यूआर कैटेगरी में आया है तो आप एससी की सीट पर कैसे दिखा रहे है।

डीजीएम (एचआर), आईएफसीआई:- सर, वह स्वयं की मेरिट पर आ गये थे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - अगर वह स्वयं की मेरिट पर आये है तो यूआर कैटेगरी की सीट पर दिखाना पड़ेगा, तो आप रोस्टर में सीट नंबर 7 पर कैसे दिखा रहे हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - निर्धारित रोस्टर प्वाइंट फॉलो करने की क्या गाइडलाइन है?

डीजीएम(एचआर), आईएफसीआई:- सर, हम रिजर्वेशन प्रतिशत मेंटेन देखते है जैसे 100 पद है उसमें से कितने एससी के लिये है यह कैलकुलेट करते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - यह जो आप कह रहे है कि निर्धारित रोस्टर प्वाइंट फॉलो करना अनिवार्य नहीं है और यह सिर्फ रिजर्वेशन प्रतिशत मेंटेन करने के लिये है आप यह ऐफिडेविट पर लिखकर आयोग को दीजिये।

डीएमडी, आईएफसीआई:- सर, आप हमे दिशा-निर्देश दीजिये तो हम उसको ठीक करके देंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - मैं क्या दिशा-निर्देश दूँ जब आप सुनने के लिये तैयार नहीं है।

डीएमडी, आईएफसीआई:- मैं तो इसीलिए आपके पास आया हूँ कि आप हमें बताये कि ठीक करने के लिये ऐसे करना है। मैं आप को कंफर्म कर दूंगा कि आपके दिशा-निर्देश से यह सब ठीक कर लिया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - आपने जो मैनेजर (फाइनेंस) की नियुक्ति की है इसमें ओबीसी का प्रतिशत मेंटेन किया है?

डीजीएम (एचआर), आईएफसीआई:- सर, यह 2017 की रोस्टर समरी है हमने 4 बैकलॉग दिखाया है, हमने 4 उम्मीदवारों को ऑफर दिया था उन्होंने ज्वाइन नही किया था।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - ओबीसी का ही शार्टफाल क्यों है, यूआर का शार्टफाल क्यों नहीं है?

डीजीएम (एचआर), आईएफसीआई:- सर, हमने 4 उम्मीदवारों को ऑफर लेटर दिये थे, उन्होंने ज्वाइन नही किया।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - चारों के ऑफर लेटर आयोग को भिजवाइये।

डीजीएम (एचआर), आईएफसीआई:- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - अगर आप रोस्टर के हिसाब से ओबीसी की सीट ईयरमार्क किये होते तो एक ओबीसी आ गया होता।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - ओबीसी का रिजर्वेशन प्रतिशत 25.84% क्यों है?

डीजीएम (एचआर), आईएफसीआई:- ~~हमारा~~ जो रिक्रूटमेंट रहता है उसमें Open Competition में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है, Otherwise than open competition में 25.84% रिजर्वेशन है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - Open Competition में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देते है तथा Otherwise than open competition में 25.84% रिजर्वेशन देते है यह आयोग को शपथ-पत्र पर लिखकर भिजवाइये।

आईएफसीआई/IFCI LTD.
आईएफसीआई टावर
IFCI Tower
61, नेहरू प्लेस
61, Nehru Place
नई दिल्ली-19
New Delhi-19

176

डीजीएम, आईएफसीआईः- हमारे पास 4 प्रकार के रोस्टर होते है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - कौन-कौन से 4 रोस्टर है?

डीजीएम, आईएफसीआईः- 13 प्वाइंट का रोस्टर है, एक प्रमोशन का रोस्टर है, एक Open Competition का रोस्टर है और एक Other wise than open competition का रोस्टर है।

डीएमडी ,आईएफसीआईः- सर, हम 2015 में सरकारी हुए है तो 2014 व 2016 में रिक्रूटमेंट हुआ है अगर हमारी कोई गलती है तो आप गाइड कीजिये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - यह गलती नही है ये तो Pre-plan किया जा रहा है। आईएफसीआई ने सरकार के नियमों का उल्लंघन किया है तथा शपथ-पत्र के उल्लेख का भी उल्लंघन किया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - Whether CMD, IFCI Limited affirms that he has complied all the rules and regulations, code and conduct and Ethics, rules of reservation and he has not violated any provision made for drafting and finalization of Annual Report of IFCI Limited and its subsidiaries? Please reply on Affidavit.

डीएमडी, आईएफसीआईः- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - Is it true that the CVC vide its circular No. 03/09/13 dated 11.09.2013 prescribed that the Government to identify the sensitive posts and to ensure rotation of staff working in these posts every two/three years. The Ministry has identified all posts in the following sections as sensitive: (1) Establishment-I (2) Establishment-I (B) & Annual Confidential Report Cell (3) Establishment-II (4) Establishment-II (B) (5) General (6) Cash (7) Vigilance (8) Road Safety (9) Project-1 (10) Project-2 (11) Project-3 (12) Project-4 (13) Project-5 (14) Project-6 (15) Project-7 (16) Project Implementation Cell (17) Works & Account (18) Left Wing Extremism (erstwhile Project-8) (19) Project-8 (erstwhile Project-10) & Special Accelerated Road Development Programme-North East Cell.

जीएम (एचआर), आईएफसीआईः- जी सर/इसका उत्तर लिखित में माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया जाएगा।

कौन-कौन से

177

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - **Whether CVC has issued instructions for effective and rotational transfer of officials and staff posted in sensitive positions in the year of 1999, 2001, 2008 and 2012 respectively;**

जीएम (एचआर), आईएफसीआईः- नहीं है सर, क्योंकि आईएफसीआई 2015 में सरकारी कम्पनी बना है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - **Whether the IFCI Limited and its subsidiaries have identified the sensitive posts and has been effecting rotational transfer, if so, please give the post-wise identification and transfer of sensitive posts since three years on Affidavit.**

जीएम (एचआर), आईएफसीआईः- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - **Whether the CVC on 11.09.2013 prescribed the Government to identify the sensitive posts and staff working in these posts and also to ensure that they are strictly rotated after every two/three years to avoid developing vested interest, if so, please give the details along with rotational transfer's details since three years?**

जीएम (एचआर), आईएफसीआईः- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - **Details of OBC official working on sensitive post?**

जीएम (एचआर), आईएफसीआईः- सर अभी जानकारी नहीं है, आपको जानकारी भिजवा देंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - **Please give the reply of following questions on Affidavit:**
Whether separate registers/ roster registers shall be maintained for appointments made by direct recruitment and promotion?

जीएम (एचआर), आईएफसीआईः- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - **Whether a common register / roster register shall be maintained for permanent appointments and temporary appointments likely to become permanent or to continue indefinitely**

जीएम (एचआर), आईएफसीआईः- जी सर।

आईएफसीआई लि./IFCI LTD. आईएफसीआई टावर IFCI Tower 61, नेहरू प्लेस 61, Nehru Place नई दिल्ली-19 New Delhi-19 भारत सरकार का उपक्रम/A Govt. of India Undertaking

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - आयोग को तीन दिन के अंदर सभी जवाब भिजवा दीजिए।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - हम तो यही चाहते है कि सब डिपार्टमेंट अपना सुधार करें, जो सरकार का नियम है उस नियम को लागू करें। किसी भी सीजीएम एचआर की रूचि ही नही है, डीएफएस की गाइडलाइन है, मॉड्ल रोस्टर है सब कुछ है।

डीएमडी, आईएफसीआईः- सर, 200 आदमियों में 1 ईडी, 2 सीजीएम है, आधे आईएफसीआई की जिम्मेदारी इनके पास है मैं यह नही कह रहा है कि एचआर नही देखना चाहिये, लेकिन हमारा ऐसा कोई इंटेशनल नही है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - आयोग तो चाहता है कि कोई गलती ना हो, सब सुधार ले, जो सरकार के नियम है उस नियम को लागू करें, आगे से तो कम से कम गलतियां ना हों। आप रोस्टर पर ओबीसी को ओबीएस लिख रहें हैं और इतने बड़े-बड़े अधिकारी रोस्टर पर साइन कर रहे हैं। आप विज्ञापन दे रहें है उस पर दिनांक नही दे रहे हैं हम कैसे मान ले कि ये इंटेशनल है या नहीं। एक सिस्टम बनता चला आ रहा है उस पर ही काम कर रहे हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - 1 से 1.5 महीना लग गया आपको जानकारी आयोग को भिजवाने मे। रोस्टर आपने कितने दिन बाद भेजा है?

जीएम (एचआर), आईएफसीआईः- 2017 में जो रोस्टर हमने डीएफएस को दिया था उसी का कॉपी बना कर सधम से दिया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - यह देखिये कोई कह सकता है कि यह ओरिजनल रोस्टर है?

डीजीएम (एचआर), आईएफसीआईः- सर, रोस्टर पहले मैनुअली बनता था अब एक्सल में बनाया जाता है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - रोस्टर पर किसका साईन है?

डीएमडी ,आईएफसीआईः- ~~जब आपकी इच्छा होगी तो इसको हटा कर बदल देंगे और मैनुअली कर देंगे।~~ हमारा 200 staff की संस्था है, अतः Manual भी Register रखा जा सकता है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - आप कंप्यूटराइज्ड ही करिये, सब कुछ डिजिटल हो गया है लेकिन उसको ठीक से तो बनाईये।

डीएमडी, आईएफसीआईः- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - आईएफसीआई वैंचर कैपिटल फंड में ओबीसी के कितने लोगों को लोन दिया है?

एमडी, आईएफसीआई वैंचर कैपिटल फंडः- सर, यह फंड 2019 में शुरु हुआ है 12 लोगों को sanction कर चुके है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - डिस्बर्स कितने लोगों को किया है?

एमडी, आईएफसीआई वैंचर कैपिटल फंडः- सर, डिस्बर्स 2 लोगों को हो चुका है। एक का डॉक्युमेंटेशन हो चुका है और एक को रिलीज़ करना है, बाकियों का डॉक्युमेंटेशन चल रहा है। कोविड की वजह से काफी डॉक्युमेंटेशन रुका हुआ था अब धीरे-धीरे डॉक्युमेंटेशन शुरू हुआ है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - पिछले साल कितने ओबीसी के लोगों को डिस्बर्स किया है?

एमडी, आईएफसीआई वैंचर कैपिटल फंडः- सर, डिस्बर्स 1 केस में हुआ है ये तो अभी नई स्कीम है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - 2 फाइनेंसियल ईयर में 2 लोगों को डिस्बर्समेंट हुआ है?

आईएफसीआई टावर IFCI Tower 61, नेहरू प्लेस 61, Nehru Place नई दिल्ली-19 New Delhi-19

एमडी, आईएफसीआई वैंचर कैपिटल फंडः- सर, ये अक्टूबर 2019 से शुरु हुआ है, 2019 में पैसा आया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - आपने सी. शांति, जीएम, आईएफसीआई को ओबीसी कैटेगरी में दिखाया है इनका ओबीसी सर्टिफिकेट आयोग को भिजवाइये।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः -जो आपके आईएफसीआई के ओबीसी के लाईसन ऑफिसर हैं श्री अनीश बाबू, इनका ओरिजनल ओबीसी सर्टिफिकेट लाये है।

जीएम (एचआर), आईएफसीआईः- ओरिजनल सर्टिफिकेट नहीं लाए है क्लियर फोटोकापी लाए है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - यह ओबीसी सर्टिफिकेट कौन से राज्य का है और कौन से जिले का है?

जीएम (एचआर), आईएफसीआईः- केरल राज्य का है, अलपुझा जिले से है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - ये कब का बना हुआ है?

जीएम (एचआर), आईएफसीआईः- 1998 में बना है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - क्या ओबीसी का कोई भी कैंडिडेट ऑन मेरिट पर सिलेक्ट नहीं हुआ है?

डीजीएम (एचआर), आईएफसीआईः- रोस्टर में दिखाया गया।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः - आईएफसीआई के द्वारा बताया गया कि ओबीसी के उम्मीदवारों का साक्षात्कार जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों से अलग दिनांक को किया जाता है। अतः किस नियम के अनुसार ओबीसी

आईएफसीआई/IFCI LTD
आईएफसीआई टावर
IFCI Tower
61, नेहरू प्लेस
61, Nehru Place
नई दिल्ली-19
New Delhi-19
उपक्रम/A Govt. of India Undertaking

के उम्मीदवारों का साक्षात्कार जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों से अलग किया जाता है, आयोग को यह शपथ-पत्र पर दिया जाये।

सुनवाई सम्पन्न।

(श्री हिमांशु शर्मा)
उप महाप्रबंधक(एचआर), आईएफसीआई

(श्रीमती रूपा देब)
महाप्रबंधक(एचआर), आईएफसीआई

(श्री शिवेन्द्र तोमर)
महाप्रबंधक आईएफसीआई एवं एमडी, आईएफसीआई वैंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(श्री प्रसून)
मुख्य महाप्रबंधक(एचआर), आईएफसीआई

(श्री सुनील कुमार बंसल)
उप प्रबंध निदेशक, आईएफसीआई

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

आईएफसीआई/IFCI LTD
आईएफसीआई टावर
IFCI Tower
61, नेहरू प्लेस
61, Nehru Place
नई दिल्ली-19
New Delhi-19
भारत सरकार का उपक्रम/A Govt. of India Undertaking

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/01/232-C/2020-KSP

आईएफ़सीआई के साथ दिनांक 08.07.2021 की सुनवाई का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगण :-

1. **श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग**
2. **श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग**
3. **श्री रामायण यादव, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग**
4. **श्री मनोज मित्तल, प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी , आईएफसीआई**
5. **श्री सुनील कुमार बंसल, उप प्रबन्ध निदेशक, आईएफसीआई**
6. **श्री शिवेंद्र तोमर, प्रबन्ध निदेशक, आईवीसीएफ**
7. **श्रीमती रूपा देब, महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), आईएफसीआई**
8. **श्री वी अनीश बाबू, महाप्रबंधक और मुख्य संपर्क अधिकारी (ओबीसी), आईएफसीआई**
9. **श्री हिमांशु शर्मा, उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), आईएफसीआई**

सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण बिन्दु:-

1. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि आईएफसीआई के रोस्टर वेबसाइट पर अपलोड है अथवा नहीं, जिसके जवाब में महाप्रबंधक (मा.सं.वि.) द्वारा बताया गया कि रोस्टर वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है अभी फाइनल रोस्टर मंत्रालय के निरीक्षण के लिए पेंडिंग है। मंत्रालय ने वर्ष 2014 के बाद हमे मौखिक रूप से बोला था कि आप लोग आरक्षण संबंधी नियमों को सही कर लीजिये और हम लोगों ने उन्हें रोस्टर सबमिट किया था लेकिन यह मामला अभी लंबित है। माननीय आयोग ने महाप्रबंधक ((मा.सं.वि.) से कहा कि यह स्टेटमेंट आयोग शपथ-पत्र उपलब्ध कराये।

2. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि सब्सिडीयरिज कम्पनियों में आईएफसीआई का कितना प्रतिशत शेयर है, जिसके जवाब में उप-महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि सब्सिडीयरिज कम्पनियों में भारत सरकार का डायरेक्ट शेयर शून्य है। माननीय आयोग दारा पूछा गया है कि आईएफसीआई में किसका पैसा लगा हुआ है जिसके जवाब में उप महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि 63% पैसा सरकार का है। आईएफसीआई का आईएफसीआई इन्फ्रा, आईएफसीआई वेंचर, आईएफसीआई फाईनेंशियल, आईएफसीआई फैक्टर्स, स्टॉकहोल्डिंग व MPCON में 51% से ज्यादा शेयर है। माननीय आयोग द्वारा कहा गया कि आयोग को वह गाईडलाइन दिखाये जिसमें लिखा है कि 51% से ज्यादा शेयर वाली सब्सिडीयरिज कम्पनियों में आरक्षण नहीं देना है। जिसके जवाब में

उप महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि ऐसी गाईडलाइन हमे नहीं मिली है। माननीय आयोग द्वारा यह जानकारी शपथ-पत्र पर उपलब्ध कराने के लिए कहा।

3. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि आईएफसीआई में ओबीसी उम्मीदवारों का सेपरेट इंटरव्यू किस नियम के अनुसार करते हैं। जिसके जवाब में आईएफसीआई के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कहा गया कि हम इसमें सुधार करेंगे।

4. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि एनुअल रिपोर्ट मे ओबीसी का चैप्टर दिखाया जाए। माहाप्रबंधक (मा॰सं॰वि॰) द्वारा एनुअल रिपोर्ट दिखाई गयी। आयोग द्वारा कहा गया कि एनुअल रिपोर्ट में नियमानुसार ओबीसी का चैप्टर शामिल नहीं किया गया है।

5. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि आईएफसीआई में रोस्टर-रिकास्टिंग कितनी बार कि गयी है जिसके जवाब में उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.) दारा बताया गया कि हमारा रोस्टर वर्ष 2014 से शुरू हुआ है, जिसके बाद वर्ष 2014 व वर्ष 2016 में दो बार रिक्रूट्मेंट हुआ है। रोस्टर रिकास्ट नहीं किया गया है।

6. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि आईएफसीआई में कांट्रेक्ट पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसके जवाब में उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.) द्वारा बताया गया कि फरवरी 2020 को दो कर्मचारी कांट्रेक्ट पर कार्यरत थे।

7. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि वित्त मंत्रालय ने अंतिम बार रोस्टर रिकास्टिंग संबंधित नियम कब बनाया था जिसके जवाब में महाप्रन्धक (मा.सं.वि.) द्वारा बताया गया कि उन्हें जानकारी नहीं है।

8. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि एच.आर. विभाग द्वारा जो गलतियां की गयी हैं इस पर क्या कार्यवाही करेंगे, जिसके जवाब में प्रबन्ध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि मैंने आईएफ़सीआई मे जून 12, 2021 मे ही कार्यभार संभाला है अतः As a Head of Institution इस सब के सुधार की जिम्मेदारी का काम मेरा ही होगा तथा मैं माननीय आयोग से निवेदन करूंगा कि हमें सुधार करने के लिए कुछ समय दिया जाए और हम सुचारु रूप से इसको सही करेंगे।

9. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि आईएफसीआई में वेंचर कैपिटल फंड योजना में कुल कितने लाभार्थी है जिसके जवाब में प्रबन्ध निदेशक, आईवीसीएफ द्वारा बताया गया कि आज कि दिनांक में हमारे पास कुल 106 करोड़ रूपए का फंड है। 23 मामलों में हमने 61 करोड़ रूपए अनुमोदित

IFCI Tower
61, नेहरू प्लेस
61, Nehru Place
नई दिल्ली-19
New Delhi-19
A Govt. of India Undertaking

कर दिये हैं और तीन लाभार्थियों को फंड डिस्बर्स कर दिया गया है। आयोग द्वारा इससे संबन्धित फाईल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।

उपरोक्त समस्त जानकारी आयोग को 3 कार्यदिवस में उपलब्ध करायी जाए।

हिमांशु

(श्री हिमांशु शर्मा)
उप महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), आईएफसीआई

वी. अनीष बाबू

(श्री वी अनीश बाबू)
महाप्रबंधक और मुख्य संपर्क अधिकारी (ओबीसी), आईएफसीआई

(श्रीमती रूपा देब)
महाप्रबंधक (मा.सं.वि.), आईएफसीआई

(शिवेंद्र तोमर)
प्रबन्ध निदेशक, आईवीसीफ

सुनील कुमार बंसल

(श्री सुनील कुमार बंसल)
उप प्रबन्ध निदेशक, आईएफ़सीआई

(श्री मनोज मित्तल)
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईएफसीआई

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

61, नेहरू प्लेस
61, Nehru Place
नई दिल्ली-19
New Delhi-19